सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 12.07.2024

मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से चोरी किये गये कुल 09 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत - 2,00,000/- रुपये) किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सैफई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.07.24 को वादी आदेश कुमार पुत्र सुखराम सिंह निवासी ग्राम उरथान थाना करहल मैनपुरी द्वारा थाना सैफई पर तहरीरी सूचना दी गयी कि वह अपनी पत्नी का इलाज कराने पीजीआई सैफई आया हुआ था। दिनांक 10/11.07.24 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा पीजीआई सैफई से उसका फोन चुरा लिया गया साथ ही अस्पताल मे मौजूद सुधीर शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा ग्राम सिंहावली जनपद अलीगढ़ का भी फोन चोरी हो गया। तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु०अ०स० 134/ 2024 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/छिनैती की घटनाओं के शीघ्र खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 11/12.07.2024 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाले 02 व्यक्ति ग्राम भाऊपुर से पहले आटा चक्की की टीन मे खडे है जो कही जानें की फिराक मे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा **02 व्यक्तियों को ग्राम भाऊपुर से पहले आटा चक्की के पास से समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति **अंशु यादव पुत्र सुभाष चंद्र यादव निवासी ग्राम खोडखेड़ा थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद उम्र 22 वर्ष** के कब्जे से 05 मोबाइल फोन तथा दूसरे व्यक्ति **सुधीर यादव पुत्र अतर सिंह यादव निवासी सराय लुकमान थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद उम्र 24 वर्ष** के कब्जे से 04 मोबाइल फोन बरामद हुये। **बरामद कुल 09 मोबाइल** फोन के संबंध मे पुलिस टीम द्वारा प्रपत्र मांगे जाने पर दिखाने मे असमर्थ रहें।

बरामद मोबाइल के संबंध में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग अलग-अलग स्थानों मोबाइल फोन से चोरी करते है तथा चलते-फिरते लोगों को कम दामों में बेच देते हैं। **सुधीर यादव उपरोक्त ने बताया कि थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद क्षेत्रान्तर्गत कठफोरी मे मेरी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान है।** यदि मेरे पास किसी मोबाइल फोन का कोई पार्ट बदलने के लिए ग्राहक आता है तो चोरी किये गये मोबाइल फोन के पार्ट को उनके फोन में बदल देता हूं जिससे ओरिजिनल पार्ट के बराबर पैसे मिल जाते हैं।

पुलिस टीम द्वारा द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनो ने पीजीआई सैफई मे रात्रि मे सो रहे व्यक्तियों से VIVO V-29 तथा POCO मोबाइल फोन चुराये थें।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सैफई पर पंजीकृत मु०अ०स० 134/ 2024 धारा 303(2) बीएनएस मे धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंशु यादव पुत्र सुभाष चंद्र यादव निवासी ग्राम खोडखेड़ा थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद **उम्र 22 वर्ष।**
2. सुधीर यादव पुत्र अतर सिंह यादव निवासी सराय लुकमान थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद **उम्र 24 वर्ष।**

बरामदगी-

1. 01 मोबाइल फोन POCO (मुकदमा उपरोक्त से संबंधित)
2. 01 मोबाइल फोन VIVO V- 29 (मुकदमा उपरोक्त से संबंधित)
3. 01 मोबाइल SAMSUNG GALAXY S-10
4. 01 मोबाइल TECNO SPARAK
5. 01 मोबाइल POCO
6. 01 मोबाइल REDMI
7. 01 मोबाइल SAMSUNG
8. 01 मोबाइल SAMSUNG M-32
9. 01 मोबाइल SAMSUNG

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 134/ 2024 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317 (2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम- व0उ0नि0 श्री तेज सिंह थाना सैफई, उ0नि0 मोहनवीर, का0 विजय कुशवाहा, का0 परविंद कुमार व का0 विकेश कुमार।